डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. उगन्ती पुत्री टोडरमल मीना
2. मनीराम पुत्र जौहरी मीना
3. लल्लू पुत्र टोडरमल मीना
   निवासी करीरी तहसील टोडाभीम।

वादी

बनाम

1. रामचरण पुत्र अंगद मीना
2. सुरज्ञान पुत्र अंगद मीना
3. सरदार पुत्र अंगद मीना
   निवासी करीरी हाल निवासी गाजीपुर तहसील टोडाभीम
4. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादीगण

दावा वावत डिवीजन ऑफ होल्डिग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0टी0एक्ट

मु0न0 122/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री कृष्ण मित्तल एडवोकेट मिनकानिब मुदई रूबरू श्री .... हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व [redacted] डिकी दी जाती है। कि

अतः वादीगण उगन्ती पुत्र टोडरमल हिस्सा 1/8 मनीराम पुत्र जौहरी हिस्सा 1/2, लल्लू पुत्र टोडरमल हिस्सा 3/8 जाति मीना निवासी करीरी को ग्राम चकगाजीपुर की आराजी ख0न0 470/682 रकवा 0.06है0, 470/683 रकवा 0.18 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण रामचरण पुत्र अंगद हिस्सा 1/3 , सुरज्ञान पुत्र अंगद हिस्सा 1/3, सरदार पुत्र अंगद हिस्सा 1/3 जाति मीना निवासी करीरी को ग्राम चकगाजीपुर की आराजी ख0न0 470/682/1 रकवा 0.06है0, 470/683/1 रकवा 0.18 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उभयपक्षकारान एक दूसरे की कब्जे काश्त की आराजी मे मजाहमद मदाखलत नही करे। नक्शा ट्रेस सलग्न रहे।

निज.....................मुबलिंग...........................बाबत.........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह...................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..............अदा करे।

बसब्ब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 29.11.2019 को जारी की गई।

दस्तखत...... उपजिला कलक्टर
ओहदा.......................... टोडाभीम (करौली)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 122 /2019

तारीख रजू:– 03.10.2019

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

उनवान

1. उगन्ती पुत्री टोडरमल मीना
2. मनीराम पुत्र जौहरी मीना
3. लल्लू पुत्र टोडरमल मीना
   निवासी करीरी तहसील टोडाभीम।

वादी

बनाम

1. रामचरण पुत्र अंगद मीना
2. सुरज्ञान पुत्र अंगद मीना
3. सरदार पुत्र अंगद मीना
   निवासी करीरी हाल निवासी गाजीपुर तहसील टोडाभीम
4. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादीगण

दावा वावत डिवीजन ऑफ होल्डिग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0टी0एक्ट

उपस्थिति :–1. श्री कृष्ण मित्तल एडवोकेट (वादी)

निर्णय दिनांकः– 29.11.2019

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम चक गाजीपुर स्थित आराजी ख0न0 470/682 रकवा 0.12, 470/683 रकवा 0.36 कुल किता 2 कुल रकवा 0.48 है0 मे वादीगण हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार है बकिया हिस्सा के प्रतिवादीगण सहखातेदार है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से मौके पर बटवारा कर रखा है। दोनो ही ख0न0 मिले हुए है वादीगण की हिस्सा 1/2 की भूमि रिहायश व दुकान बनी हुई है। बकिया भूमि मे काश्त हो रही है। वादीगण की हिस्से की भूमि की चारो तरफ बाउण्ड्री हो रही है जो कि मण्डेरू से करीरी रोड के सहारे है वादीगण की इस हिस्से की भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबध किसी प्रकार का नही है। लेकिन राजस्व रिकार्ड के आधार पर बटवारा नही हुआ है। विधिवत बटवारा कराने हेतु प्रतिवादीगण के इन्कार करने के कारण दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि ग्राम चक गाजीपुर स्थित आराजी ख0न0 470/682 रकवा 0.12, 470/683 रकवा 0.36 कुल किता 2 कुल रकवा 0.48 है0 मे वादीगण का 1/2 हिस्से का अलग खाता कायम कराने हेतु दावा प्राथमिक डिक्री कर

Scanned by CamScanner

बटवारा स्कीम तलब फरमाई जावे। और बटवारे मे आई भूमि मे वादीगण के उपयोग उपभोग मे रूकावट पैदा नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 2 व 4 बावजूद सूचना उपस्थित नही हुये इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 1 व 3 स्वंय उपस्थित हुये तथा कथन किया कि वादी के साथ–साथ हमारे खाते की भूमि का भी तकास्मा कर दिया जावे तो कोई आपत्ति नही है।

पक्षकारान की सहमति से दावा प्राथमिक डिक्री किया कि ग्राम चक गाजीपुर स्थित आराजी ख0न0 470/682 रकवा 0.12, 470/683 रकवा 0.36 कुल किता 2 कुल रकवा 0.48 है0 मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्सेनुसार अलग खाता कायम करते हुये बटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस दो प्रतियो मे प्रस्तुत करे। तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमीश्नर नियुक्त किया गया।

तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम का वादी वकील ने अवलोकन कर मुताबिक बटवारा स्कीम दावा फाईनल डिक्री करने का कथन किया।

वकील वादी की बहस पर मनन करते हुये पत्रावली एवं बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस पर उभयपक्षकारान के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर है इस प्रकार दावा फाईनल डिक्री किया जाना उचित पाता हूँ।

अतः वादीगण उगन्ती पुत्र टोडरमल हिस्सा 1/8 मनीराम पुत्र जौहरी हिस्सा 1/2, लल्लू पुत्र टोडरमल हिस्सा 3/8 जाति मीना निवासी करीरी को ग्राम चकगाजीपुर की आराजी ख0न0 470/682 रकवा 0.06है0, 470/683 रकवा 0.18 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण रामचरण पुत्र अंगद हिस्सा 1/3 , सुरज्ञान पुत्र अंगद हिस्सा 1/3, सरदार पुत्र अंगद हिस्सा 1/3 जाति मीना निवासी करीरी को ग्राम चकगाजीपुर की आराजी ख0न0 470/682/1 रकवा 0.06है0, 470/683/1 रकवा 0.18 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उभयपक्षकारान एक दूसरे की कब्जे काश्त की आराजी मे मजाहमद मदाखलत नही करे। नक्शा ट्रेस सलग्न रहे। पर्चा डिक्री जारी करें।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

29/11/19

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2019.12.04 11:35:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: